5

ईसीसीई के मुद्दे एवं दिशा-निर्देश

प्रारम्भिक बाल्यावस्था ऐसी महत्वपूर्ण अवधि है जो बाद के अधिगम और विकास के लिये आधार तैयार करती है। इस अवधि में प्रदान किये गये अनुभव और अवसर बच्चे के विकास विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिये गुणवत्तापूर्ण और समतामूलक प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

शिक्षा के लिये इंचियोन घोषणा, 2030 भी सभी बच्चों के लिये कम से कम एक वर्ष की गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य और निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सेवाओं और कार्यक्रमों मे समतामूलक पहुँच और आरम्भिक निवेश महत्वपूर्ण हो गये हैं। भारत सरकार द्वारा की गयी पहल में इस वैश्विक ईसीसीई प्रतिबद्धता का पालन और प्रभाव स्पष्टता से प्रतिबिम्बित होता है। हाल ही में एनसीईआरटी और न्यूपा द्वारा कराया गया अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण सभी बच्चों के लिये ईसीसीई सेवाओं में सतत वृद्धि का संकेत करता है। हालाँकि सर्वेक्षणों से पता चलता है तीन से छः आयु वर्ग के बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई उसमें भी विशेष रूप से शैक्षणिक घटक अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके पीछे के कारणों में आयु और विकास के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुविधाओं, आधारभूत ढाँचे, शिक्षण-अधिगम-सामग्री, संसाधनों, आवश्यक निधियों, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों, मानक मूल्यांकन प्रणाली तथा सम्मिलन का अभाव है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा का प्रभाव, रट कर याद करना, कक्षाकक्ष की व्यवस्था तथा उसके प्रदर्शन पर पर्याप्त ध्यान न देना, बच्चों की आयु, उनके विकास की आवश्यकताएँ तथा उनकी योग्यताओं की जानकारी न होना, सामुदायिक स्वामित्व की कमी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का अभाव आदि अन्य नाजुक मुद्दे हैं। व्यक्तिगत, संस्थानिक तथा सरकारी स्तरों पर इन पर ध्यान देने तथा सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

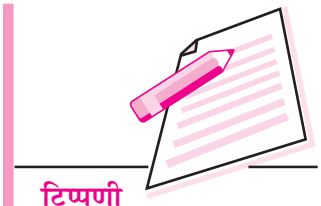

- ईसीसीई के मुद्दों की व्याख्या करता है; और
- ईसीसीई के मुद्दों के समाधान के लिये विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में परिचर्चा करता है।

5.1 प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा के मुद्दे

यहाँ कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है, सम्भवत: इसलिये कि हमने व्यक्तिगत या सरकारी दोनों ही स्तरों पर ईसीसीई के गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए ईसीसीई कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा देख-रेख की अवधि में इन्हें ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। आइए, इनमें से कुछ मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करते हैं।

5.1.1 प्रवेश की प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों की प्रवेश-प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा उचित प्रवेश-प्रक्रिया में बहुत अधिक स्पष्टता या पारदर्शिता नहीं है। यह देखा गया है कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन विशेष रूप से महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों में औपचारिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। सम्भवत: पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिये आवेदकों की एक बड़ी संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। इस तरह का चलन बच्चों की अस्वीकृति को बढ़ावा देती हैं जो कि इस अल्पवयस्कता में उनके आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान को नष्ट कर सकती है।

5.1.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

ईसीसीई केन्द्रों में आयु और विकास के अनुरूप उपकरणों और खेल-सामग्री का अभाव है। अधिकांशत: ईसीसीई केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या के लिये ये अपर्याप्त हैं। ईसीसीई केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली खेल-सामग्री मानदण्डों को पूरा नहीं करती और न ही अच्छी तरह उनका रख-रखाव है। कुछ स्थितियों में यह सामग्री सुरक्षित नहीं है और न ही शिक्षक द्वारा उचित ढंग से उपयोग में लायी जाती है। इसके अलावा कक्षा का वातावरण बच्चों को अधिगम के लिये सामग्री के परिचालन तथा खोज के अवसर प्रदान नहीं करता।

5.1.3 शिक्षक

ईसीसीई कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों के मुद्दे उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन तथा प्रशिक्षण/क्षमता-निर्माण से सम्बन्धित हैं। नियुक्त ईसीसीई शिक्षकों की योग्यताओं में बहुत अन्तर है। वे या तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) होते हैं या फिर शिक्षा-स्नातक (बी.एड.)। पूर्व-सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि एनटीटी, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हर जगह कुकुरमुत्तों की तरह निरन्तर

टिप्पणी

बढ़ रही अनियमित संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार बिना किसी उपयुक्त प्राधिकारी की मान्यता के कुछ विनियमित संस्थाएं विभिन्न अवधि के विविध प्रकार के ईसीसीई या एनटीटी पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। पूरे देश में शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण किन्तु उपेक्षित और अविकसित क्षेत्र है। नवीनतम विकास जो कि मुख्य रूप से टेक्नालॉजी और शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया के उपयोग से सम्बन्धित है, के साथ-साथ चलने में सहायता के लिये ईसीसीई शिक्षकों की क्षमता-निर्माण के लिये सेवारत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

ईसीसीई शिक्षकों के वेतनमानों में भी भिन्नताएं हैं और अधिकांश को बहुत कम वेतन मिलता है। अधिकांश ईसीसीई केन्द्रों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और कक्षा में केवल एक ही शिक्षक है।

5.1.4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खेल और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। हालाँकि अधिकांश केन्द्र, विशेषत: निजी क्षेत्रों के, औपचारिक शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। ये विधियाँ बच्चों को प्रश्न पूछने के, प्रयोग करने के, अन्वेषण के तथा सहभागिता के बहुत कम अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बनाना, उनकी कल्पना और सृजनात्मक चिन्तन के कौशलों को रोकता है।

बच्चे मातृभाषा में बेहतर रूप से सीखते हैं। यह जानने के बाद भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों को पढ़ाने और बातचीत के लिये अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इस कारण से बच्चे स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत तथा अभिव्यक्ति के अवसर कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशाल, उबाऊ और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त गृहकार्य एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और यह स्थिति घर में बच्चे की स्वतन्त्रता का हरण कर लेती है। कभी-कभी यह दबाव अभिभावकों को भी स्थानान्तरित हो जाता है।

अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों के मूल्यांकन के लिये समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन नहीं करते और उनकी प्रगति को एकतरफा ढंग से मानकीकृत परीक्षणों और साक्षात्कारों द्वारा अंकित किया जाता है।

5.1.5 पाठ्यक्रम

छोटे बच्चों की विशेषताओं, जरूरतों और विकास को ध्यान में रखते हुए उनके लिये व्यवस्थित सभी प्रकार के नियोजित अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। वर्तमान में ईसीसीई के लिये कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हालाँकि, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (एमडब्लूसीडी) ने ईसीसीई के लिये एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित की है जिसमें बच्चों को शिक्षण-अधिगम के केन्द्र में रखा गया है और छोटे बच्चों के अधिगम अनुभवों की व्यवस्था के लिये खेल विधि आधारित उपागम का सुझाव दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों की उपलब्धता के बाद

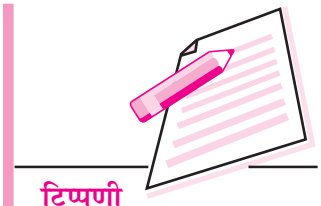

भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र अपने शिक्षण को इस पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुरूप बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

5.1.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समावेशन तथा लैंगिक समानता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जीवन के आरम्भिक चरण में ही ध्यान जाने की जरूरत है। बच्चों में भिन्नताओं की उपस्थिति के बाद भी एक समावेशित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में सभी बच्चों के लिये समतामूलक और सम्मानजनक वातावरण समाहित होता है। इस प्रकार का वातावरण बच्चों में स्व-अस्तित्व के प्रति सकारात्मकता तथा अपनेपन की भावना के विकास के लिये अपरिहार्य है। लैंगिक पहचान का निर्माण भी पूर्व बाल्यावस्था की अवधि में ही विकसित होता है। इस अवधि के दौरान लिंग तथा समावेशन सम्बन्धी मुद्दों से निपटने के लिये प्राय: शिक्षक न तो सचेत होते हैं और न ही प्रशिक्षित होते हैं। सभी बच्चों के लिये सुलभ तथा सम्मानजनक वातावरण के निर्माण के लिये सरकारी तथा ईसीसीई केन्द्रों के स्तर पर ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

5.1.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

एक ईसीसीई केन्द्र के विकास और स्थिरता के लिये प्रशासन और प्रबंधन के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों में निम्नलिखित बिन्दु समाहित हैं:

- **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र, ईसीसीई केन्द्र के प्रशासन और प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हालाँकि यह ईसीसीई कार्यक्रमों के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये बड़े और छोटे दोनों ही स्तरों पर कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र नहीं है। भागीदार जैसे कि शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता, शैक्षिक नियोजक और प्रशासक आदि भी इस व्यवस्था और इसमें विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिये ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता के प्रावधानों में योगदान देने में सक्षम नहीं है।

- **नियामक ढाँचा :** मौजूदा ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा अनियमित ईसीसीई केन्द्रों की बाढ़ को रोकने के लिये, जो कि ईसीसीई के गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते, एक मजबूत नियामक ढाँचा अनिवार्य है। हाँलाकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर दोनों पर ही कोई सुपरिभाषित नियामक ढाँचा उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों ने अपना राज्य स्तरीय नियामक ढाँचा विकसित किया है जो अन्य राज्यों के सन्दर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। हाँलाकि यह जानना उत्साहजनक है कि एमडब्लूसीडी ने एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद का गठन किया है जो कि क्रियाशील नहीं है लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है।

- **सम्मिलन/समन्वय :** सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय की कमी है जिससे कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के प्रति अनिश्चितता बढ़ती है।

शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बच्चों की आवश्यकताओं पर विभिन्न मन्त्रालय और संस्थान भी इसी प्रकार से ध्यान देते हैं। इसलिये बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेवाओं हेतु संस्थानों, सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा सरकारों के बीच का एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है।

पाठगत प्रश्न 5.1

स्तम्भ (अ) तथा स्तम्भ (ब) का मिलान कीजिए–

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(1) सम्मिलन/समन्वय	(अ) योग्य तथा प्रशिक्षित
(2) खेल सामग्री	(ब) खेल तथा गतिविधि आधारित
(3) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया	(स) गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रम
(4) नियामक ढाँचा	(द) पर्याप्त
(5) ईसीसीई शिक्षक	(ई) मन्त्रालय एवं सरकार

गतिविधि 5.1

अपने आस-पड़ोस के अभिभावकों के उन मुद्दों तथा चुनौतियों के बारे में परिचर्चा कीजिए जिनका सामना उन्हें अपने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए करना पड़ा।

5.2 मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

अब तक हमने ईसीसीई के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा की है। यद्यपि ये मुद्दे अस्तित्व में हैं, परन्तु सभी भागीदारों के संयुक्त प्रयासों द्वारा इनका समाधान सम्भव है। ये प्रयास सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रमों की सुलभता को सुनिश्चित करेंगे। इस सन्दर्भ में उपर्युक्त मुद्दों के समाधान हेतु व्यावहारिक हल के रूप में नीचे कुछ दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

5.2.1 प्रवेश की प्रक्रिया

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा नामांकन-प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। हालाँकि एक शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को तीन वर्ष की

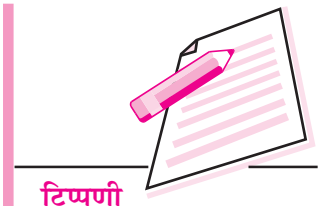

आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं। यह वह समय है जब बच्चे परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन कर पाते हैं, कुछ शाब्दिक योग्यता विकसित कर पाते हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ बता पाते हैं और शौचालय हेतु प्रशिक्षित हो जाते हैं।

इसके साथ ही पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मूल्यांकन-उपकरण के रूप में प्रवेश के समय मूल्यांकन/साक्षात्कार/बच्चों और अभिभावकों के साथ अन्तर्क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन परीक्षणों से होने वाली चिन्ता से छोटे बच्चों को बचाने के लिये प्रवेश-परीक्षा को समाप्त किया जाना अपरिहार्य है। बच्चों के नामांकन हेतु कुछ वैकल्पिक तरीकों जैसे पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित या यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

परिवार के धर्म, क्षेत्र, जाति, नस्ल, लिंग, अशक्तता और सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर बच्चों के प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.2.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी केन्द्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान होना चाहिए। 25 बच्चों के समूह को न्यूनतम 300/450 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान और 35 मीटर का आन्तरिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह स्थान आयु और विकास के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। इसमें पर्याप्त प्रकाश, हवा, पीने का साफ पानी, स्वच्छ तथा बच्चों के अनुकूल शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधि जैसे कि गुड़िया, विज्ञान, नृत्य/संगीत, कला आदि के क्षेत्रों का भी प्रावधान होना चाहिए। ये सभी सुविधाओं दिव्यांग बच्चों के लिये भी होना चाहिए।

5.2.3 शिक्षक, शैक्षणिक योग्यता, क्षमता-निर्माण तथा वेतन

एक शिक्षक जो कक्षा बारह उत्तीर्ण है और उसके पास नेशनल काउसिंल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा है, एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) भारत सरकार द्वारा 17 अगस्त 1990 को स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका अधिदेश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को मुख्य रूप से विनियमन और मानकों तथा मानदण्डो के रखरखाव द्वारा विकसित करने और बनाये रखने के लिये है। इसने पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) का पाठ्यक्रम तथा इनके विनियमन हेतु सम्बन्धित मानक तथा मानदण्ड विकसित किये हैं।

टिप्पणी

(डायट) को समस्त राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ करना चाहिए। क्षमता-निर्माण के दौरान शिक्षकों को ईसीसीई से जुड़े नवीन घटनाक्रमों और पहलुओं की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

ईसीसीई शिक्षको के वेतनमानों को समीक्षित किया जा सकता है। प्रतिबद्ध एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों का वेतन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बराबर किया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर शिक्षक-बच्चा अनुपात को बनाये रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ों से अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। उचित शिक्षक-बच्चा अनुपात शिक्षक और बच्चों के बीच एक बेहतर अन्तर्क्रिया में योगदान देता है। इस प्रकार तीन से छः आयु वर्ग के 20-25 बच्चों के लिए एक शिक्षक एवं एक सहायक नियुक्त किया जाना चाहिए जोकि उचित शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात है।

5.2.4 शिक्षा अधिगम प्रक्रिया

(अ) अधिगम-वातावरण का सृजन

छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने वाला एक अनुकूल कक्षाकक्ष का वातावरण ईसीसीई कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अतः कक्षाकक्ष के वातावरण और व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है। विभिन्न गतिविधि क्षेत्र इस ढंग से बनाए जाने चाहिए कि बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु नियमित रूप से प्रचुर अवसर प्राप्त हों। स्थान ऐसे व्यवस्थित हो कि बच्चे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में कार्य कर पाएं। सुनिश्चित करें कि कक्षाकक्ष में सभी उपकरण और सामग्री क्रियाशील, सरलता से सुलभ तथा सुरक्षित हों। कक्षाकक्ष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अन्तर्क्रिया को बढ़ावा मिले और बच्चों को एक-दूसरे के साथ साझा करने, मिलजुलकर काम करने तथा एक-दूसरे का सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन मिले।

(ब) शिक्षण तथा अनुदेशन हेतु विधियाँ

संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालकेन्द्रित होनी चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की औपचारिक प्रणाली नहीं होनी चाहिए। इसलिये रटकर याद करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगम अनुभवों का निर्माण खेल, गतिविधियों, प्रयोगों तथा अन्वेषणों द्वारा होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि तथा सृजनात्मकता के विकास के लिये प्रचुर अवसर मिलने चाहिए जबकि शिक्षक के लिये आवश्यक है कि अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिये आयु और विकास के अनुरूप समुचित गतिविधियों और सामग्री का नियोजन करे।

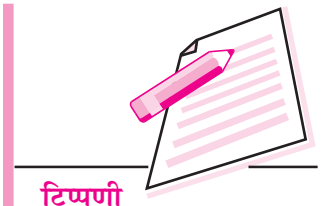

(स) अनुदेशन की भाषा

ईसीसीई केन्द्र में अनुदेशन की भाषा, मातृभाषा होनी चाहिए। यदि बच्चे मातृभाषा या स्थानीय बोली बोलते हों तो शिक्षक को जितना सम्भव हो उतना कई भाषाओं के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। यह बच्चों को आत्माभिव्यक्ति करने में, कक्षा में सहभागिता करने में तथा एक-दूसरे से सीखने में सहायता करेगा।

बाद की शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये मातृभाषा को प्रोत्साहित करते समय शिक्षक को विद्यालयी भाषा को भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिये पहले बच्चों को उनकी घर की भाषा या मातृभाषा में प्रवीणता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके बाद विद्यालयी भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए।

(द) गृहकार्य

प्री-स्कूल स्तर तथा पूर्व-प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 तथा 2 पर) किसी भी प्रकार का गृहकार्य विशेष रूप से लिखित कार्य हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि अधिगम को पुनर्बलित करने के लिये पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पहले से की गयी गतिविधियों के अनुरूप बच्चों को घर पर करने के लिये कुछ गतिविधियाँ दी जा सकती हैं। जो अभिभावक गृहकार्य की माँग करते हैं उन्हें बच्चों पर गृहकार्य के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

(ई) मूल्यांकन

बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन नियमित तथा व्यापक रूप से दैनिक निरीक्षणों, खेल गतिविधियों, अन्तर्क्रियाओं तथा एनेकडॉट्स के द्वारा भयरहित तरीके से किया जाना चाहिए। इन्हें नियमित रूप से दर्ज या प्रलेखित किया जाना चाहिए। बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करने तथा बेहतर विकास हेतु सक्षम बनाने के दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन निर्माणात्मक होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कोई औपचारिक परीक्षण या परीक्षा चाहे लिखित हो मौखिक, नहीं होना चाहिए। बच्चों में अशक्तता या विकासात्मक चुनौतियों की आरम्भिक पहचान करने तथा पता लगाने के लिये भी मूल्यांकन का उपयोग किया जायेगा।

5.2.5 पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को आयु और विकास के अनुरूप अधिगम अनुभव तथा अवसर प्रदान करे जिससे कि वे स्वयं को तथा अपने पर्यावरण को समझ सकें, गुण-दोष की दृष्टि से सोच सकें और अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर सकें। पाठ्यक्रम को खेल-आधारित, सतत अधिगम को सुनिश्चित करने वाला, अन्तर्क्रिया हेतु अवसर प्रदान करने वाला, बच्चों की सहभागिता को निश्चित करने वाला, स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला तथा विकास के समस्त आयामों को समाहित करते हुए शिक्षण की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। इसे बच्चों के अनूठेपन, अनुभवों की विविधता तथा स्थानीय एवं विशिष्ट सन्दर्भों

टिप्पणी

का आदर भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम में भौतिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ अन्तर्क्रिया और अन्वेषण के द्वारा मूर्त अनुभवों पर बल दिया जाना चाहिए।

5.2.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समानता को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षाकक्ष में विविधता का आदर करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण को आधारभूत ढाँचे और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबन्ध के सन्दर्भ में सुलभ बनाया जाना चाहिए। बच्चे में किसी विकासात्मक देरी का आरम्भ में ही पता लगाया जाना चाहिए। अत: पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी प्रशासन सभी बच्चों के शुरुआती विकास की जाँच करवा सकते हैं जिससे कि समय पर सहायता प्रदान की जा सके।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय एक बेहतर स्थान हो सकता है जहाँ समावेशी तथा लिंग संवेदी पाठ्यक्रम प्रदान करके लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षाएँ रखनी चाहिए। उन्हें बच्चों पर समान ध्यान तथा सम्मान देना चाहिए और समान अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। खेल तथा अन्य गतिविधियों को लिंग अभिनति से मुक्त होना चाहिए।

5.2.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

(अ) **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण को ईसीसीई से सम्बन्धित मुद्दों की खोज और पहचानी गयी समस्याओं के समाधान तैयार करने पर केन्द्रित होना चाहिए। एक दृढ़ निगरानी तन्त्र की सहायता से प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के उद्देश्यों को काफी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ ईसीसीई केन्द्र औपचारिक विद्यालय से सम्बद्ध है वहाँ केन्द्र के प्रमुख, पर्यवेक्षकों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी) की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिये जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण की एक दृढ़ प्रणाली विकसित और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

(ब) **विनियमन :** विनियमन ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ईसीसीई कार्यक्रमों और शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करने वाले संस्थानों के लिये मानक नियामक तन्त्र महत्वपूर्ण है। मानकों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समर्पित संस्था के निर्माण तथा मानकों के मापन हेतु मूल्यांकन उपकरण के विकास द्वारा ऐसा किया जा सकता है। एमडब्लूसीडी द्वारा गठित राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को पूर्णत: कार्यात्मक बनाकर भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिगम मानकों तथा एक नियामक ढाँचे के विकास एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सरकार पर है।

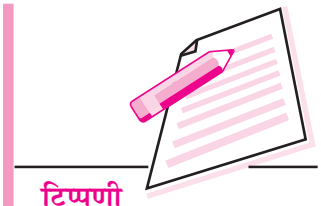

(स) सम्मिलन/समन्वय : सरकार को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन के निर्माण का कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न संगठनों एवं मन्त्रालयों में उनकी कार्य की प्रकृति के अनुरूप प्रशासनिक, स्वास्थ्य, क्षमता-निर्माण और निगरानी/पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यों के सन्दर्भ में समन्वय होना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 5.2

1. रिक्त स्थान भरिए–

   (क) बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं जब वे ..... होते हैं।

   (ख) न्यूनतम ..... वर्ग मीटर का आन्तरिक स्थान ..... बच्चों के समूह को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

   (ग) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में डिप्लोमा ..... द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

   (घ) बच्चे सर्वोत्तम अपनी ..... भाषा में सीखते हैं।

   (ङ) प्रारम्भिक बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम को ..... और ..... समुचित अधिगम अनुभव प्रदान करने वाला होना चाहिए।

2. बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं य असत्य :

   (क) शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षा रखनी चाहिए।

   (ख) सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के सम्मिलन को हतोत्साहित करना चाहिए।

   (ग) छोटे बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षाएं ली जानी चाहिए।

   (घ) शिक्षकों को कक्षाकक्ष के वातावरण पर कम ध्यान देना चाहिए।

गतिविधि 5.2

इण्टरनेट की सहायता से छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा हेतु कार्यरत विभिन्न मन्त्रालयों के नामों का पता लगाइए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- मुद्दे जो कि संबंधित है
  - प्रवेश-प्रक्रिया
  - आधारभूत ढाँचा और कक्षा का वातावरण
  - शिक्षक
  - शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
  - पाठ्यक्रम
  - समावेशन और लिंग
  - प्रशासन
- व्यक्तिगत या संस्थानिक स्तर पर उपर्युक्त मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

पाठान्त प्रश्न

(1) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

(2) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों के निराकरण हेतु सुझाव दीजिए।

(3) ईसीसीई के प्रशासनिक मुद्दों और उनके समाधान की नीतियों का वर्णन कीजिए।

(4) ईसीसीई में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

(1) ई

(2) द

(3) ब

(4) स

(5) अ

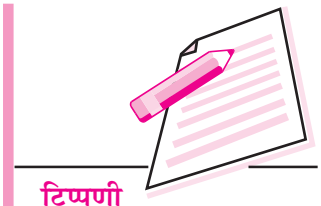

टिप्पणी

5.2

1. (क) परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन/कुछ सीमा तक शाब्दिक योग्यता का विकास/मूलभूत आवश्यकताओं को बताना/शौचालय हेतु प्रशिक्षित

   (ख) 35, 25

   (ग) एनसीटीई

   (घ) मातृ

   (ङ) आयु, विकास के अनुरूप

2. (क) सत्य

   (ख) असत्य

   (ग) असत्य

   (घ) असत्य

संदर्भ

- Chandra, R., Gulati, R. & Sharma, S. (2017). *Quality early childhood care and education in India: Initiatives, practice, challenges and enablers*. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 11 (1), 41-67.
- Ministry of Women and Child Development. (2013) *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development .*Quality Standards for Early Childhood Care and Education.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2014). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework*. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2016). Eighth All India School Education Survey (8th AISES): As on 30th September, 2009-A Concise Report. Educational Survey Division (ESD), New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education.* New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005.* New Delhi: NCERT.
- National University of Educational Planning and Administration. (2010). *Elementary Education in India: Analytical Report- Progress Towards UEE.* New Delhi.

टिप्पणी

- National Council of Teacher Education (NCTE). http://ncte.gov.in/
- Seth, K. (1996). *Minimum Specifications for Pre–Schools*. New Delhi: NCERT.
- Sharma, S., Sen, R. S. & Gulati, R. (2008). Early childhood development policy and programming in India: Critical issues and directions for paradigm change. *International Journal of Early Childhood, 40 (2).*
- United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2015b) *Incheon Declaration, Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. World Education Forum-2015*. Incheon, Republic of Korea, 19-22 May, 2015.